

मूल वाद में डिक्री शामिल
 (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) पलापगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री दिनेश कुमार मण्डाकर, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी
पलापगढ़

उत्तमान बनाम नामपल

वादा संख्या :- 53-88-88 प/अ

दिनांक :-
 वादी की ओर से की व प्रतिवादी की ओर से
 उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19/11/18 को (नाम पीठासीन अधिकारी)
mi[k.M vf/kdkjh] के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया
 गया है और डिक्री दी जाती है कि -

~~नाम वने डिपार्ल्टमेंट पलापगढ़ मतोइयाग श्री वाइयान~~
~~नामपल हस्तगत: नन, 78, 98, 99, 107, 113, 116, 123, 124,~~
~~125, 127, 236, 287 पर वापीतान प्रभुसंग वाडिगव के~~
~~1/2 व शक्तिवादी जेम्स 1 का 1/2 हिस्सा एडवाइस~~
~~उपखण्ड पलापगढ़ श्रीवांग शिवार तपार श्री देवु तहलगा~~
~~पलापगढ़ में निहित है किपुन्य डिप्टी पोताई~~
 दोनों पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 19/11/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

19.11.18
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर, पलापगढ़

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़